

विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भत्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। कर्मशाला, झज्जर में दिनांक 26.10.2023 को नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। जिन प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है। वह प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेज जैसे-रजिस्ट्रेशन फार्म, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड आदि लेकर दिनांक 26.10.2023 को कर्मशाला, झज्जर में प्रातः 10.00 बजे पहुंचे।

क्रमांक	ट्रेड्स	रिक्त पद
1	वैल्डर	3
2	कारपेंटर	2
3	फिटर	2
4	विद्युतकार	2
5	पेंटर	1
6	टर्नर	1
7	मोटर मैकेनिक	10
8	डीजल मैकेनिक	5
	कुल	26

नोट :- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं हैं।

2. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.10.2023 तक कर सकते हैं।
3. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर के पास अपरेंटिस विज्ञप्ति में वर्णित रिक्तियों को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है।
4. चयनित उम्मीदवार को सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा कान्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद प्रशिक्षण पर लिया जाएगा।

महाप्रबंधक
हरियाणा राज्य परिवहन